

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
पिपरी-सोनभद्र**

पत्रांक: 11A / क0नि0ख0-3,पि0 / वन /

दिनांक 01.05.2019

विषय: जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू.पी./02/31/2018/एफ.सी./663 दिनांक 06.03.2019

2-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1747/11-सी-FP/UP/IRRI/20269/2016, लखनऊ दिनांक 07.03.2018

3-आपका पत्रांक-3189/रेनुकूट/15-117/दिनांक 18.03.2019

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

क्र०सं०	बिन्दु	बिन्दु की आख्या
1-	क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 28.05.2015 के निर्णय के अनुपालन।	क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक दिनांक 28.05.2015 के अनुपालन में कनहर सिंचाई परियोजना के वर्तमान प्रस्ताव में मुख्य नहरों एवं प्रणालियों की समस्त नहरों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग एवं ओबरा वन प्रभाग की कुल 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है।
2-	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 30.08.2018 को दिये गये आदेश की अनुपालन।	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिनांक 30.08.2018 को दिये गये आदेश एवं पूर्व आदेश दिनांक 07.05.2015 का अनुपालन किया जा रहा है जिसका विवरण संलग्न है।
3-	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का Shape काफी अनियमित (Irregular) है अतः सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा वन रोपड़ हो चयनित भूमि की उपयुक्तता (Technical & Economic Feasibility) का प्रमाण पत्र एवं समेकित K.M.L. फाइल समर्पित किया जाय।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का Shape के उपयुक्तता का प्रमाण पत्र पूर्व के प्रस्ताव में पृष्ठ सं०-375 से 377 पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में सी०एफ० केन्द्रीय श्री के०के० तिवारी महोदय द्वारा दिनांक 24.05.2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। Afforestation के लिये दी जा रही 132.6126 हे० के कुछ क्षेत्र में पूर्व में भी पेंड-पौधे लगे होने से वनीकरण हेतु भूमि कम होने के कारण अतिरिक्त भूमि देने हेतु अपने पत्र संख्या-8B/UP/02/31/2018/FC/219/dated 20-08-2018 द्वारा निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के अनुपालन में कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित ग्राम कुदरी की 28.1482 हे० भूमि अतिरिक्त दी जा रही है। इस प्रकार कुल 160.7608 हे० भूमि उपलब्ध करायी जा रही है जिसका समेकित सी०डी० संलग्न है।
4-	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अभी तक उल्लंघन नहीं हुआ है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
5-	वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिये समेकित KML File समर्पित किया जाये।	समेकित वन भूमि का KML File का CD संलग्न है।

संलग्नक- पाँच प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता

कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय
पिपरी-सोनभद्र

प्राप्तिका
02/5/19